35 2 सेवानिवृत्ति के बाद केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसई) के उच्च स्तरीय एक्जीक्यूटिवों के लिए निजी वाणिज्यिक उपक्रमों में कार्य करने संबंधी प्रतिबंध ।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 15 मई 2008 के का.ज्ञा. सं. 2(22)/99-जीएम–जीएल–91 का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. इस विभाग को 15.5.2008 के पूर्व नियुक्त/सेवानिवृत्त अधिकारियों के प्रति 15.5.2008 के का.ज्ञा. की स्वीकार्यता से संबंधित स्पष्टीकरण मांगने वाले प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से संदर्भ प्राप्त हो चुके हैं। इस मामले की जांच की गई है तथा यह निर्णय लिया गया है कि 15.5.2008 के डीपीई का.ज्ञा. में दिए अनुसार निषिद्ध अवधि में कमी इन मामलों में भी की जाए:–

(i) बोर्ड स्तर के एक्जीक्यूटिव जो 15.5.2008 से पूर्व नियुक्त हुए थे तथा जो 15.5.2008 के बाद सेवानिवृत्त हो चुके हैं/होंगे, यद्यपि उनकी नियुक्ति की शर्त को डीपीई के पूर्व का.ज्ञा. दिनांक 25. 1.200 के आधार पर अंतिम रूप दिया गया हो।

(ii) बोर्ड स्तर के एक्जीक्यूटिव जो 15.5.2008 से पूर्व नियुक्त तथा सेवानिवृत्त हुए हों तथा जिनके सेवानिवृत्त पश्चात वाणिज्यिक रोजगार अब तक डीपीइ के पूर्व के 25.1.2000 के का.ज्ञा. के आधार पर निर्धारित नहीं किए गए हैं।

3. सभी प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग से अनुरोध है कि वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें तथा इन दिशानिर्देशों में निहित विषय–वस्तु को अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के संज्ञान में लाएं।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(22)/99–जीएम , दिनांक 3 जून, 2009)

***